तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 36/2025 बउनवान रेज पॉवर इन्फ्रा लिमिटेड बनाम केशरसिंह वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

–:आदेश:–

दिनांक 04.09.2025

उपस्थितिः–

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री पुनमचन्द पुरोहित।
2. रेस्पों. संख्या 2 से 5 की तरफ से अधि. श्री छैलसिंह राठौड़।
3. रेस्पों. संख्या 1 व 7 की तरफ से अधिवक्ता श्री हितेश गोयल।
4. शेष रेस्पों. अनुपस्थित।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी ग्राम हरभा के खसरा संख्यां 257, 255 एवं ग्राम तोगा के खसरा संख्या 28/309, 36, 26 तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर के संबंध में अपीलांट कंपनी को राजस्थान रिनवेबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा दिनांक 29.02.2024 को सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना करने की अनुज्ञा जारी कर रखी है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पों. द्वारा अपीलांट कंपनी को लोक विकास के कार्य करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी को राजस्थान राज्य के गर्वनर की ओर से जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा कंपनी के हक में लीज डीड निष्पादित हो चुकी है। उक्त लीज डीड के अनुसरण में अपीलांट कंपनी के हक में नामान्तरकरण किया जाकर कंपनी को बतौर काश्तकार अंकित किया जा चुका है। राज्य सरकार के साथ हुए अनुबंध अनुसार अपीलांट कंपनी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट कंपनी को उक्त कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। यहां यह निवेदन भी उल्लेखनीय है कि जहां–जहां अपीलांट कंपनी द्वारा ट्रांसमिशन लाईन हेतु टॉवर स्थापित किये जा रहे हैं उन्में संबंधित खातेदारों को निर्धारित कानून एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप सहमति ली जाकर हर्जाने का मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा–20ए व 41 एच.ए. की पूर्णतया अनदेखी की है, जिसमें स्पष्ट अंकित किया हुआ है

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कि कानूनन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट के निर्माण, विकास में किसी तरह की कोई निषेधाज्ञा किसी भी न्यायालय द्वारा जारी नहीं की जा सकती है, जिससे कोई प्रोजेक्ट बाधित होता हो। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी वैधानिक तथ्यों को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं जिससे अपीलांट कंपनी का विकास कार्य एवं हित प्रभावित होते है। अपीलांट कंपनी को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी प्रोजेक्ट का कार्य करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है। अगर रेस्पों. अपने उक्त मकसद में सफल रहे तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में की जानी संभव नहीं है। अपीलाधीन आराजी अपीलांट्स की बतौर काश्तकार दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उक्तानुसार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा व संतुलन अपीलांट के पक्ष में होने के कारण से अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेबल ही नहीं है। दस्तावेजात सही हैं या नहीं यह दावे में तय होगा। न्यायालय को तय यह करना है कि मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे या नहीं है। अपीलांट द्वारा मनगंढंत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई जिसमें अपीलांट को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी ग्राम हरभा के खसरा संख्या 257, 255 एवं ग्राम तोगा के खसरा संख्या 28/309, 36, 26 तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर पर वर्तमान में मौके पर कब्जा–काश्त रेस्पों. का है। रेस्पों. द्वारा कंपनी के साथ भूमि लीज पर दिये जाने हेतु आवेदन किया हुआ है जिसकी लीज प्रक्रिया की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त लीज कार्यवाही पूर्ण होने से पहले ही अपीलांट कंपनी द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर पोल लगाकर अवैध रूप से बलपूर्वक बिना कोई साईट/रूट प्लान स्वीकृत के ही कार्य किया जा रहा था, जो विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतय विधि सम्मत है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट कंपनी वादग्रस्त आराजी जो रेस्पो. की खातेदारी की आराजी है जिस पर बीचों–बीच में सोलर प्राजेक्ट का कार्य करने हेतु रेस्पों. को बेदखल करने पर आमादा है जिससे रेस्पों. को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में की जानी संभव नहीं हैं। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रेस्पों. रेकार्डेड खातेदार एवं कब्जा–काश्त होने से मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एकतरफा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधि

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभय पक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट कंपनी को लोक कल्याण के कार्य करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है। जबकि अपीलांट कंपनी के साथ राज्य सरकार द्वारा हुए अनुबंध अनुसार वादग्रस्त आराजी को जरिये जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा अपीलांट कंपनी को सुपुर्द कर नामान्तरकरण किया जाकर अपीलांट कंपनी को बतौर काश्तकार दर्ज किया जा चुका है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पों. द्वारा अपीलांट कंपनी के कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही है जो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 117/2025 बउनवान केशरसिंह वगैरह बनाम रेज पॉवर इन्फ्रा लिमिटेड वगैरह में पारित आदेश दिनांक 15.07.2025 की पालना एवं क्रियान्विति को स्थगित किया जाता है एवं उतरदातागण को पाबंद किया जाता है कि वे अपीलांट कंपनी के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

4/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर